

(3)

:: महा निदेशालय कारागार राजस्थान

स्थान/प्रदूष/नियम/16215

5/2023

-: स्थाई आदेश संख्या 2/-

राजस्थान कारागार
कारागार प्रशासन
व्यावहारिक संचालन

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 के पार्ट V के निम्न

ले अनुसार मुख्य प्रृष्ठरियों की पदोन्नति हेतु लिखित / शारिरिक दक्षता परीक्षा
सेवा भिलेख व साक्षात्कार का पार्यक्रम एवं अंक विभाजन निम्नानुसार किया जाता

:-

-:: कारागार विभाग के मुख्यप्रहरी पद पर पदोन्नति संबंधी परीक्षा :-

प्रारूपहठभ

पार्ट- I लिखित परीक्षा

100 अंक

ए।

- 1- जेल नियम एवं विधि 50 अंक
- 2- जेलों का व्यावहारिक संचालन 50 अंक

बी।

- परेड एवं आउट डोर 100 अंक

पार्ट- II

साक्षात्कार एवं सेवा भिलेख

50 अंक

- ए- सेवा भिलेख मध्यस्था कार्य मूल प्रति. 25 अंक
- बी- साक्षात्कार 25 अंक

लिखित परीक्षा :-

लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जो कि एक घन्टे की समयावधि
के होंगे। जेल नियम एवं विधि का प्रश्न वस्तुपरक। ओब्जेक्टिव। होगा। जेलों के
व्यावहारिक संचालन संबंधी छूटन पत्र लघु उत्तरात्मक होगा।

।।। जेल नियम एवं विधि :- 25 अंक

- 1- कारागार प्रशासन तंत्र संक्षिप्त परिचय।
- 2- कारागार की परिभाषा एवं भावशयक्ता।
- 3- राजस्थान कारागृह/उप कारागृह/सुधार संस्था/बुला शिविर एवं स्थान।
- 4- कारागृहों का सामान्य वर्गीकरण।
- 5- बन्दी वर्गीकरण।
- 6- निम्नांकित के बारे में संक्षिप्त जानकारी :-

1- कारागार भवन

2- बन्दी किट

3- बन्दी डाइट

4- बन्दी श्रम

5- बन्दी अनुशासनहीनता की ^{संज्ञा} में आने वाले व्यवहार

6- बन्दी के लिये दण्ड।

..... 2

- 7- सुरक्षात्मक उपकरणों का रख रखाव ।
 8- निष्प्रदृ वस्तुओं की जानकारी ।
 9- तलाशी ।
 10- बन्दी साक्षात्कार में प्रदर्शी की भूमिका ।
 11- गेंग रजिस्टर एवं रिपोर्ट बुक लिखना ।
 12- क्वार्टर गार्ड का महत्व व हथियारों का रख रखाव ।
 13- बीमार बंदियों को अस्पताल ले जाने, दवा एवं भोजन वितरण संबंधी कार्य ।
 14- आन्दोलनकारि बंदियों का रख रखाव ।
 15- वारन्ट एवं रिहाई के संबंध में सामान्य जानकारी ।
 16- कारागार व्यवस्था व बन्दी सुरक्षा के संबंध में कारागार नियम 1951 के निम्नांकित प्रावधानों से संबंधित विवेष जानकारी ।
- 1- प्रदर्शी कर्तव्य व क्वार्टर गार्ड पार्ट-8 सैक्षण 14 व 19
 2- गेट की गिंग पार्ट- 8। 1। 3। ।
 3- जेल भवन एवं सफाई नियंत्रण पार्ट 8 सैक्षण 2, 3, 4.
 4- बन्दी मैत व्यवस्था पार्ट 9 सैक्षण 2 व 3
 5- बन्दी सुरक्षा पार्ट 25 सैक्षण 2
 6- आपातकालीन परिस्थितियों पार्ट 25 सैक्षण 2 व 7
 7- बन्दी गेंग पार्ट 10 सैक्षण । व 3
 8- तलाशी एवं निष्प्रदृ वस्तुयों पार्ट- 11
 9- रात्रिकालीन इयूटी पार्ट 10 सैक्षण 3
 10- बन्दी के करने संबंधी एवं न करने संबंधी व्यवहार पार्ट 10 सैक्षण 3
 11- न्यायालय में साक्षी देने के संबंध में सामान्य जानकारी ।
 12- प्रदर्शी को दिये जाने वाला किट ।
 13- टाटा बंदियों का रख रखाव ।

12। प्रिजन्स एक्ट 1894

05 अंक

- 1- कारागार की वरिभाषा एवं कारागार धोषित करने की प्राप्तिधारा-धारा- 3
 2- जेल अधिकारी के कर्तव्य-धारा 8, 9, 10
 3- अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्य धारा- 21, 22, 23
 4- जेल अपराध धारा- 42, 45
 5- जेल अधिकारी के अपराध-धारा-54

13। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

05 अंक

- 1- अध्याय-1 धारा-10
 2- अध्याय 12 धारा- 267 से 27।

14। प्रिजन्स अटैचेन्स इनकॉर्ट रूल्स 1956

05 अंक

15। मानवाधिकार, अधिकार, अधिकार औपन कैम्प, बैण्ड नियम

05 अंक

-: प्रश्न पत्र संख्या- 2 :-

प्रश्न पत्र संख्या एक में दिये गये पाठ्यक्रम के अनुसार जेलों का व्यावहारिक
संचालन -

इरेड एवं आउट डोर

100 अंक

- 1- स्क्वार्ड ड्रिल 20 अंक
 1- व्यक्तिगत प्रदर्शन 10 अंक
 2- निर्देशन क्षमता 10 अंक
- 2- राईफल ड्रिल 20 अंक
 1- व्यक्तिगत प्रदर्शन 10 अंक
 2- निर्देशन क्षमता 10 अंक
- 3- शस्त्रों का बनाने एवं रखने रखाक 10 अंक
 1- 410 मस्कट
 2- 303 राईफल
 3- रिवलर / पिस्टल
- 4- हैण्डलिंग आफ डोर/हैण्ड मैटल डिटेक्टर 05 अंक
- 5- फायर फाईटिंग 05 अंक
- 6- ट्रौड- 30 अंक
- 1- 02 किलोमीटर पुरुष आशार्थियों के लिये 12 मिनिट में पूर्ण अंक, तत्पश्चात प्रत्येक 15 सैकण्ड अधिक लेने पर 2 अंक का।
 2- 01 किलोमीटर महिला आशार्थियों के लिये 09 मिनट पूर्ण अंक तत्पश्चात प्रत्येक 15 सैकण्ड पर एक अंक कम।
- 7- पी०टी० 1 से 10 तक टेक्कल 10 अंक

सेवाभिलेख एवं साक्षात् कार

50 अंक

- 1- ऐक्षणिक योग्यता 10 अंक
 1- मि डिल शून्य
 2- तैकैण्डी/सी०तैकै० 01 अंक
 3- प्रथमवर्षी टीडीसी 02 अंक
 4- द्वितीयवर्षी टीडीसी 03 अंक
 5- स्नातक 05 अंक
 6- स्नातक मय विधि स्नातक/ग्राहिस्नातक 10 अंक
- 2- सेवाभिलेख वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रति गत 5 वर्षों के। 15 अंक
 1- उच्चृष्टि 03 अंक
 2- बहुत अच्छा 02 अंक
 3- अच्छा 01 अंक
 4- संतोषपूर्व 1/2 अंक
 5- असंतोषपूर्व शून्य

साक्षात् कार

15 अंक

- 1- व्यक्तिगत
 2- टर्न आउट

114::

- 1- व्यक्तित्व
- 2- टर्न आउट
- 3- व्यवहार कुशलता
- 4- समझ । रप्टीट्यूट ।
- 5- निर्णय धमता
- 6- नेतृत्व
- 7- सामाजिक ज्ञान

बुरस्कार एवं दण्ड -

10 अंक

- 1- परिनिष्ठा ~~**४xअंक~~ (-) 1/2 अंक
- 2- एक वे०कूदो असंघयी प्रभाव से (-) 01 अंक
- 3- दो वे०वृ० असंघयी प्रभाव से (-) 02 अंक
- 4- एक वे०वृ० संघयी प्रभाव ते (-) 03 अंक
- 5- दो वे०वृ० संघयी प्रभाव ते (-) 05 अंक
गत 10 वर्षों में ।

- 1- अधीक्षक का प्रमाण पत्र। प्रत्येक वर्ष । 01 अंक
- 2- जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र 03 अंक
- 3- महा निदेशक/मुख्यालय द्वारा 05 अंक
- 1 अधिकतम 10 अंक दिये जा सकेंगे ।

गत 10 वर्षों के प्रमाण पत्र बुरस्कार में गिने जावेंगे ।

स०प्र० ।
स०प्र० ।

अतिमहानिदेशक एवं महा निरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर ।

24/10/03 24/10/03

xरमाx